



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16042021-226666
CG-DL-E-16042021-226666

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 177]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 15, 2021/चैत्र 25, 1943

No. 177]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 15, 2021/CHAITRA 25, 1943

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2021

सं. 18/1/BEE/DISCOM/2021.—बीईई, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 13 की उप-धारा (2) के खंड (थ) के साथ पठित धारा 58 की उप-धारा (2) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुछ विनियमों के निम्नलिखित प्रारूप का अनुपालन करते हुए अर्थात्, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (विद्युत वितरण कंपनियों में ऊर्जा लेखा परीक्षण (लेखांकन) के संचालन की रीति और अंतराल) विनियम 2021, जिन्हें ब्यूरो, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से लागू करने का प्रस्ताव कथित रूप से प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 58 की उप-धारा (1) के अधीन यथापेक्षित प्रकाशित किया जाता है; और सूचना दी जाती है कि उक्त विनियम को राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिनों की अवधि पर या उसकी समाप्ति के बाद उस पर विचार किया जाएगा।

आपत्ति या सुझाव, यदि कोई हो, महानिदेशक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, चौथा तल, सेवा भवन, आर. के. पुरम, सेक्टर-1, नई दिल्ली - 110066 और ब्यूरो के ई-मेल पते dg-bee@nic.in पर भेजा जा सकता है।

विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में यदि किसी भी व्यक्ति से आपत्ति या सुझाव प्राप्त होता है, तो ब्यूरो द्वारा उस पर विचार किया जाएगा।

प्रारूप विनियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-

- (1) इन विनियमों को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (विद्युत वितरण कंपनियों में ऊर्जा लेखा परीक्षण (लेखांकन) के संचालन के लिए रीति और अंतराल) विनियम 2021 कहा जाएगा।
- (2) ये विनियम अभिहित उपभोक्ता के रूप में अधिसूचित सभी विद्युत वितरण कंपनियों तक विस्तारित होंगे और इन विनियमों के प्रारंभ होने की तारीख से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ऊर्जा लेखा परीक्षण के संचालन की रीति और अंतराल) विनियम, 2010 अभिहित उपभोक्ता के रूप में अधिसूचित विद्युत वितरण कंपनियों पर लागू नहीं होंगे।
- (3) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ.-

- (1) इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

- (क) "अधिनियम" का अर्थ ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 है;
- (ख) "सर्किल" का अर्थ है डिस्कॉम का सीमांकित क्षेत्र जिसमें डिस्कॉम को पुनः विभाजित किया गया है। इसमें आमतौर पर भौगोलिक रूप से स्थित क्षेत्रों के हिस्से शामिल होते हैं; जहां उसी ईएचवी/ ग्रिड नेटवर्क के माध्यम से भी प्रविष्टि की जाती है;
- (ग) "डिवीजन" का अर्थ है प्रशासनिक/ अनुभाग/ क्षेत्र, जिसमें एक डिस्कॉम को एक प्रशासनिक इकाई आदि के रूप में संचालन की आसानी के उद्देश्य से पुनः विभाजित किया जाता है;
- (घ) "ऊर्जा लेखांकन" का अर्थ है नेटवर्क के विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर ऊर्जा प्रवाह का त्वरित और सटीक लेखांकन और बाद में वास्तविक ग्राहकों द्वारा ऊर्जा की खपत;
- (ङ) "ऊर्जा लेखा परीक्षण (लेखांकन) रिपोर्ट" का अर्थ है मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षक / ऊर्जा प्रबंधक द्वारा प्रस्तुत और हस्ताक्षरित ऊर्जा लेखांकन पर रिपोर्ट;
- (च) "ऊर्जा लेखा परीक्षण (लेखांकन)" का अर्थ है विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किए गए ऊर्जा लेखांकन का ऊर्जा लेखा परीक्षण;
- (छ) "वित्तीय वर्ष" का अर्थ है किसी विशेष वर्ष के 1 अप्रैल से शुरू होने और उसके बाद वाले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने तक 12 महीने;
- (ज) "प्रारूप" का अर्थ इन विनियमों से जुड़ा एक प्रारूप है।

- (2) यहाँ जो शब्द और अभिव्यक्तियाँ उपयोग किए गए हैं और परिभाषित नहीं किए गए हैं, लेकिन अधिनियम में परिभाषित किए गए हैं, उनके अर्थ क्रमशः वही होंगे जो अधिनियम में दिए गए हैं।

3. ऊर्जा लेखा परीक्षण (लेखांकन) के संचालन के लिए समय अंतराल.-

- (1) प्रत्येक विद्युत वितरण कंपनी को इन विनियमों के प्रभाव में आने की तिथि से 04 महीने के भीतर मान्यताप्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षक द्वारा संचालित अपना पहला ऊर्जा लेखा परीक्षण (लेखांकन) कराना होगा। बशर्ते कि यदि इन विनियमों के प्रभावी होने के बाद एक विद्युत वितरण कंपनी स्थापित की जाती है तो ऐसे विद्युत वितरण के लिए अभिहित उपभोक्ता के रूप में अधिसूचित किए जाने की तारीख से 04 महीने के अंदर इसका पहला ऊर्जा लेखा परीक्षण होगा। बाद में उप-विनियमन (3) के अनुसार ऊर्जा लेखा परीक्षण (लेखांकन) आयोजित किया जाएगा।

- (2) आयोजित प्रथम ऊर्जा लेखा परीक्षण (लेखांकन) में इन नियमों के प्रभावी होने की तारीख से पिछले 12 महीनों के लिए विद्युत वितरण कंपनी के ऊर्जा लेखांकन को विचार में लिया जाएगा।
- (3) प्रत्येक विद्युत वितरण कंपनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए संगत वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 03 महीने की अवधि के अंदर ऊर्जा लेखा परीक्षण (लेखांकन) करेगी। इस उप-विनियमन (3) के अधीन विद्युत वितरण कंपनी द्वारा आयोजित दो ऊर्जा लेखा परीक्षण (लेखांकन) के बीच 12 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए और ऊर्जा लेखा परीक्षण (लेखांकन) की रिपोर्ट उस अवधि के अंत के 04 महीने के अंदर विद्युत कंपनी प्रबंधन को प्रस्तुत की जाएगी, जिसके लिए ऊर्जा लेखा परीक्षण (लेखांकन) किया गया है। इसके द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि यदि उप-विनियमन (1) के अनुसार पहला ऊर्जा लेखा परीक्षण (लेखांकन) एक वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित किया जाता है तो इस उप-विनियमन (3) के अनुसार कथित वित्तीय वर्ष के लिए ऊर्जा लेखा परीक्षण (लेखांकन) में प्रथम ऊर्जा लेखा परीक्षण (लेखांकन) में लेखा परीक्षित समयावधि को शामिल नहीं किया जाएगा।

4. ऊर्जा लेखांकन के लिए पूर्वापेक्षाएं.-

विद्युत वितरण कंपनियों को निम्नलिखित कार्यों के साथ प्रथम ऊर्जा लेखा परीक्षण (लेखांकन) से पहले ऊर्जा लेखांकन के लिए आवश्यक सभी कार्यों को करने की आवश्यकता होगी,-

- (क) सभी विद्युत नेटवर्क परिसंपत्तियों की पहचान और मानचित्रण;
- (ख) उच्च टेंशन और कम टेंशन वाले उपभोक्ताओं की पहचान और मानचित्रण;
- (ग) सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित ऊर्जा लेखांकन और संबद्ध सॉफ्टवेयर सहित लेखा परीक्षण प्रणाली/ का विकास और/ या कार्यान्वयन;
- (घ) उपभोक्ता परिसर सहित सभी नेटवर्क बिंदुओं पर मीटरों की स्थापना और प्रचालन;
- (ङ) एक केंद्रीकृत ऊर्जा लेखांकन और लेखा परीक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना;
- (च) आवश्यक क्षमता परिवर्धन के लिए नेटवर्क के ओवरलोडेड खंडों की पहचान।

5. ऊर्जा लेखांकन के लिए रिपोर्टिंग संबंधी आवश्यकताएं:

- (1) ब्यूरो और संबंधित राज्य अभिहित एजेंसी को सभी फीडर-वार/ सर्किल-वार/ डिवीजन-वार त्रैमासिक ऊर्जा लेखांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और प्रत्येक अगली तिमाही में अधिक से अधिक [15 दिनों] के भीतर विद्युत वितरण कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।
- (2) विद्युत वितरण कंपनी ऊर्जा लेखा रिपोर्टिंग अनुपालन के लिए नोडल अधिकारी को नामित करेगी और ब्यूरो को इसके बारे में सूचित करेगी। नोडल अधिकारी आवश्यक रूप से विद्युत वितरण कंपनी का पूर्णकालिक कर्मचारी होगा और मुख्य अभियंता स्तर या उससे ऊपर के रैंक और पदनाम का होगा।
- (3) विद्युत वितरण कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि ऊर्जा लेखांकन डेटा एक मीटरिंग प्रणाली से उत्पन्न होता है और यह विद्युत वितरण कंपनी के अनुमान पर आधारित नहीं है। ऊर्जा लेखांकन और लेखा परीक्षण प्रणाली/ सॉफ्टवेयर को मासिक/ त्रैमासिक और वार्षिक ऊर्जा लेखांकन रिपोर्ट बनाने के लिए विकसित किया जाएगा।
- (4) विद्युत वितरण कंपनी मौजूद सुरक्षा उपायों, प्रोटोकॉल आदि में आईटी प्रणाली का विवरण प्रदान करेगी जो यह सुनिश्चित करती है कि अनिवार्य रिपोर्टें बनाने में कोई मैनुअल हस्तक्षेप न हो।
- (5) जैसा कि विद्युत मंत्रालय या इसकी नोडल एजेंसी द्वारा अधिसूचित किया गया है कि प्रत्येक अगली तिमाही में अधिक से अधिक 15 तारीख तक रिपोर्ट को एक अभिहित राष्ट्रीय पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए।

6. ऊर्जा लेखा परीक्षण (लेखांकन) की रीति.-

- (1) इन नियमों के तहत प्रत्येक ऊर्जा लेखा परीक्षण (लेखांकन) निम्नलिखित रीति से किया जाएगा, -
- (क) विद्युत वितरण कंपनी के आस पास ऊर्जा वितरण के मौजूदा पैटर्न का सत्यापन;
- (ख) मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षक विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्रस्तुत ऊर्जा प्रवाह को सत्यापित करेगा, -
- (i) ट्रांसमिशन और 33 केवी इनकमिंग वितरण फीडरों के बीच ऊर्जा प्रवाह;
- (ii) 33 केवी आउटगोइंग और 11 केवी इनकमिंग फीडरों के बीच ऊर्जा प्रवाह;
- (iii) 11 केवी फीडर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के बीच ऊर्जा प्रवाह;
- (iv) डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर से वास्तविक उपभोक्ता के बीच ऊर्जा का प्रवाह;
- (v) फीडर से वास्तविक उपभोक्ता के बीच ऊर्जा प्रवाह।
- (2) विद्युत वितरण कंपनी के नोडल अधिकारी के साथ संयुक्त रूप से मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षक, -
- (क) इन विनियमों के तहत आवश्यक ऊर्जा लेखा परीक्षण (लेखांकन) के संचालन के लिए कार्यक्षेत्र विकसित करें;
- (ख) नेटवर्क में वितरित ऊर्जा के लेखांकन पर सर्वोत्तम प्रथा प्रक्रियाओं पर सहमत हों; तथा
- (ग) प्राप्त ऊर्जा और ऊर्जा लेखा परीक्षण (लेखांकन) के दायरे में शामिल वितरण डेटा संग्रह करें।
- (3) मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षक, -
- (क) संग्रह किए गए डेटा की वैधता के मूल्यांकन के लिए मानक प्रथा के अनुसार वितरण कंपनियों द्वारा नियुक्त या अभिहित नोडल अधिकारी के परामर्श से एकत्र किए गए डेटा की सटीकता की पुष्टि की जाए;
- (ख) निम्न के संबंध में डेटा का विश्लेषण और प्रक्रिया करना, -
- (i) एकत्र किए गए डेटा की तुलना में डेटा निगरानी की एकरूपता;
- (ii) ऊर्जा लेखांकन प्रदान करना और ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए सिफारिशें; तथा
- (iii) विद्युत वितरण कंपनी में ऊर्जा लेखांकन का अवलोकन।

7. प्राथमिकता और कार्य योजना तैयार करना.-

- (1) नोडल अधिकारी के साथ संयुक्त रूप से मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत ऊर्जा लेखा परीक्षण (लेखांकन) रिपोर्ट में निम्नलिखित गतिविधियां शामिल होंगी,-
- (I) डेटा संग्रह और ऊर्जा वितरण का सत्यापन-
- (क) विद्युत वितरण कंपनी से उपभोक्ताओं और सिस्टम मीटरिंग की मासिक ऊर्जा खपत डेटा और निम्नलिखित वोल्टेज स्तरों पर :
- (i) 33 केवी स्तर - जिसमें 33 केवी फीडर और सब-स्टेशन शामिल हैं ;
- (ii) 11 केवी स्तर - जिसमें 11 केवी फीडर और वितरण उप-स्टेशन शामिल हैं ;
- (iii) 440 वी स्तर - जिसमें वितरण ट्रांसफॉर्मर और कम टेंशन वाले उपभोक्ता शामिल हैं।

- (ख) ऊर्जा लागत और टैरिफ डेटा।
- (ग) सभी मीटर्ड इनपुट बिंदुओं के लिए इनपुट ऊर्जा विवरण।
- (घ) सीमा मीटर विवरण।
- (ङ.) ऊर्जा आपूर्ति का स्रोत (उदा. ग्रिड से बिजली या स्व-उत्पादन)।
- (च) प्रणाली में ऊर्जा हानि की पहचान करने के लिए वर्तमान खपत प्रथाओं की समीक्षा।
- (II) डेटा सत्यापन, वैधीकरण और सुधार-
- (क) ब्यूरो और संबंधित राज्य अभिहित एजेंसी को रिपोर्ट करने के लिए ऊर्जा संरक्षण और लागत में कमी के संबंध में प्रत्येक उपाय के प्रभाव को वार्षिक आधार पर निर्धारित करने के लिए एक निगरानी और सत्यापन प्रोटोकॉल।
- (ख) निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए इनपुट ऊर्जा का सत्यापन और सुधार :
- (i) मीटरिंग एजेंसी द्वारा रिकॉर्ड किया गया सिस्टम मीटर रीडिंग।
- (ii) ट्रांसमिशन सिस्टम के सभी इनपुट पॉइंट।
- (iii) ट्रांसमिशन यूनिट द्वारा प्रदान किए गए विवरण।
- (iv) विद्युत परीक्षण प्रभाग में प्रत्येक महीने के लिए संगत और अनुरक्षित रिकॉर्ड।
- (v) सभी निर्यात बिंदुओं पर रिकॉर्डेड मीटर रीडिंग (जहां राज्य से बाहर भेजने वाली ऊर्जा वितरण प्रणाली से है)।
- (vi) सिस्टम लोडिंग और संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर।
- (ग) विद्युत वितरण कंपनी और मीटरिंग कर्मियों के साथ किसी भी ऐसे विसंगतिपूर्ण डेटा के लिए परामर्श करें जो आधार वर्ष प्रतिनिधित्व को प्रभावित कर सके।
- (घ) ऊर्जा इनपुट के मूल्यांकन के लिए एमआरआई/ एएमआर के माध्यम से गुणन कारक (एमएफ) और सही ऊर्जा का सत्यापन।
- (ङ.) खुली पहुंच वाले उपभोक्ताओं को दी जाने वाली ऊर्जा, जो खुली पहुंच वाले उपभोक्ताओं द्वारा सीधे विद्युत वितरण कंपनी के अलावा किसी भी आपूर्तिकर्ता से खरीदी जाती है।
- (च) यादृच्छिक क्षेत्र की यात्रा (विशेषकर डेटा अनियमितता के लिए) के माध्यम से मीटरिंग एजेंसी द्वारा प्रदान किए गए सिस्टम मीटरिंग डेटा को सत्यापित और वैधीकृत करें।

8. ऊर्जा लेखा परीक्षण (लेखांकन) रिपोर्ट की संरचना.-

- (1) ऊर्जा लेखा परीक्षण (लेखांकन) संरचना को मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षक और विद्युत वितरण कंपनी द्वारा संयुक्त रूप से तय किया जाएगा और रिपोर्ट अनुलग्नक -1 में बताए गए रूप में प्रारूप में तैयार की जाएगी।
- (2) ऊर्जा लेखा परीक्षण (लेखांकन) रिपोर्ट –
- (क) विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर इनपुट ऊर्जा और खपत पैटर्न के लिए निगरानी प्रदान की जाएगी ;
- (ख) ऊर्जा रिसाव, अपव्यय या अदक्ष उपयोग के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी ;
- (ग) लक्ष्य आधारित सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए उच्च हानि वाले क्षेत्रों/ नेटवर्क की पहचान की जाएगी; तथा

(घ) आवश्यक क्षमता परिवर्धन के लिए नेटवर्क के ओवरलोडेड खंडों की पहचान की जाएगी।

- (3) मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षक, ऊर्जा लेखा परीक्षण (लेखांकन) रिपोर्ट में ऊर्जा और ऊर्जा संसाधनों के प्रबंधन में विद्युत वितरण कंपनी की मजबूतियों और कमजोरियों को प्रकट किया जाएगा और रिपोर्टिंग डेटा, ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली की विधि में सुधार के लिए उनके अंतर्निहित औचित्य के साथ विस्तार सहित आवश्यक कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी।
- (4) मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षक ऊर्जा लेखा परीक्षण के संचालन में कार्यरत जनशक्ति के विवरण के साथ सभी मान्यता विवरण देते हुए अपनी फर्म की मुहर के साथ ऊर्जा लेखा परीक्षण (लेखांकन) रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करेगा।
- (5) ऊर्जा लेखा परीक्षण (लेखांकन) रिपोर्ट में मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षक और वितरण कंपनी के नोडल अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित कार्य अनुसूची शीट शामिल होगी।

9. ब्यूरो की सिफारिश.-

1. ऊर्जा लेखा परीक्षण (लेखांकन) रिपोर्ट संगत वित्तीय वर्ष के अंत से 4 महीने के अंदर ब्यूरो को प्रस्तुत की जाएगी।
2. ब्यूरो में प्रस्तुत ऊर्जा लेखा परीक्षण (लेखांकन) रिपोर्ट के आधार पर यह विद्युत वितरण कंपनी द्वारा ऊर्जा लेखांकन और रिपोर्टिंग में आगे सुधार के लिए आवश्यक कार्यवाही करने की सिफारिश कर सकता है।

अशोक कुमार, उप महानिदेशक
[विज्ञापन III/4/असा./41 / 2021-22]

उपाबंध -1

(क) रिपोर्ट करने के फॉर्मेट की संरचना

1. कार्यकारी सारांश और महत्वपूर्ण टिप्पणियां
2. पृष्ठभूमि :
 - i. बीईई के विषय में
 - ii. बीईई की भूमिका
 - iii. क्षेत्र के विषय में
3. सत्यापन करने वाली फर्म का परिचय
4. डिस्कॉम (डीसी) का परिचय
 - i. अभिहित उपभोक्ता का नाम और पता
 - ii. ऊर्जा प्रबंधक का नाम और संपर्क का ब्यौरा (बीईई द्वारा प्रमाणित, यदि कोई हो) और डीसी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (नोडल अधिकारी)
 - iii. डीसी के विषय में
5. पृष्ठभूमि
 - i. लेखांकन रिपोर्ट का प्रयोजन
 - ii. उपागम, विस्तार और विधि
 - iii. ऊर्जा लेखांकन की अवधि
 - iv. टीम की संरचना
 - v. समय और गतिविधियों के चार्ट पर संक्षिप्त लेख सहित श्रम दिवसों में कार्य
6. डिस्कॉम की टीम के साथ बैठक के कार्यवृत्त
7. लेखा परीक्षण फर्म द्वारा तैयार की गई जांचसूची
8. परिभाषाएं
 - i. पिछले तीन वर्षों का परिदृश्य (सारणीबद्ध प्रारूप में तुलना के साथ संक्षिप्त विवरण)

- ii. मूल संरचना के विवरण
 - iii. ऊर्जा संरक्षण के विकल्प (पिछले और भावी)
 - iv. ऊर्जा परिदृश्य और ऊर्जा प्रदर्शन (% हानियां):
 - विद्युत वितरण प्रणाली
 - रेखा आरेख (एसएलडी)
 - पावर की खरीद का ब्यौरा
 - सेवा की श्रेणी का ब्यौरा (उपभोक्ता और वोल्टेज-वार के साथ)
 - पिछले तीन वर्षों में विभिन्न हानियां
 - v. समावेश और बहिष्करण
9. डीसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर ऊर्जा खपत और हानियों में कमी के विवरणों पर इकाई निष्पादन पर लेख।
 10. प्रत्येक पैरामीटर सहित सत्यापित दस्तावेजों की सूची
 11. इकाई का संक्षिप्त विवरण
 12. डेटा के स्रोत के रूप में दस्तावेज की सूची के साथ गणना या सूत्रों के माध्यम से प्राप्त पैरामीटर्स की सूची

| (ख) ऊर्जा लेखा परीक्षण के लिए प्रारूप | | | |
|--|-----------------------------------|-----------|-------|
| सामान्य सूचना | | | |
| विद्युत वितरण कंपनियां | | | |
| 1 | डिस्कॉम का नाम | | |
| 2 | i) स्थापना का वर्ष | | |
| 3 | संपर्क के विवरण और पता | | |
| क | डिस्कॉम का पता | | |
| i | शहर/कस्बा/गांव | | |
| ii | जिला | | |
| iii | राज्य | पिन | |
| iv | टेलीफोन | फैक्स | |
| ख | डिस्कॉम के मुख्य कार्यपालक का नाम | | |
| i | पद | | |
| ii | एसटीडी कोड के साथ टेलीफोन | फैक्स | |
| iii | मोबाइल | ई-मेल | _____ |
| 4 | पंजीकृत कार्यालय | | |
| i | कंपनी के मुख्य कार्यपालक का नाम | | |
| ii | पद | | |
| iii | पता | | |
| iv | शहर/कस्बा/गांव | डाकखाना | |
| v | जिला | | |
| vi | राज्य | पिन | |
| vii | टेलीफोन | फैक्स | |
| 5 | ऊर्जा प्रबंधक का ब्यौरा * | | |
| i | नाम | | |
| ii | पद | ईए या ईएम | |
| iii | ईए/ईएम पंजीकरण नं. | | |
| iv | टेलीफोन | फैक्स | |

| | | | |
|--|--|---------------------------------|------|
| v | मोबाइल | ई-मेल आईडी | - |
| 6 | सूचना की अवधि | | |
| 6 | सूचना का वर्ष (वित्तीय वर्ष) सहित तारीख और माह (आरंभ और अंत) | 1 अप्रैल, 20.. – 30 मार्च, 20.. | |
| विद्युत वितरण कंपनियों के निष्पादन के संबंध में जानकारी का विवरण | | | |
| क्र. सं. | सामान्य ब्यौरा | विवरण | |
| 1 | इकाई का नाम (डिस्कॉम) | 0 | |
| 2 | (i) स्थापना का वर्ष | 0 | |
| 3 | क्षेत्र | विद्युत वितरण कंपनियां | |
| 4 | डीसी यूनिट के स्थान का पूरा पता (मुख्य कार्यपालक का नाम और पदनाम सहित) मोबाइल, टेलीफोन, फैक्स नं. और ई-मेल सहित। | , , , , , | |
| 5 | टेलीफोन, फैक्स नं. और ई-मेल के साथ पंजीकृत कार्यालय का पता | , , , , , , , | |
| 6 | ऊर्जा प्रबंधक का नाम, पदनाम, पंजीकरण संख्या, पता, मोबाइल, टेलीफोन, फैक्स नं. और ईमेल | , , , , , , , , , , , | |
| 7 | सूचना की अवधि तारीख और माह (आरंभ और अंत) सहित सूचना का वर्ष (वित्तीय वर्ष) | 1 अप्रैल, 20.. – 30 मार्च, 20.. | |
| 8 | तकनीकी ब्यौरा | | |
| (क) | ऊर्जा इनपुट का ब्यौरा | | |
| (i) | ऊर्जा इनपुट क्रय (उत्पादन स्रोत से) | मिलियन किलो वॉट घंटा | 0.00 |
| (ii) | निवल इनपुट ऊर्जा (डिस्कॉम के आस पास ट्रांसमिशन हानियों और ट्रेड की गई ऊर्जा को समायोजित करने के बाद) | मिलियन किलो वॉट घंटा | 1.00 |
| (iii) | कुल ऊर्जा बिल क्या निवल ऊर्जा बिल है, जो ट्रेड की गई ऊर्जा के लिए समायोजित है) | मिलियन किलो वॉट घंटा | 0.00 |
| (ख) | पारेषण और वितरण (टी एंड डी) हानि का विवरण | मिलियन किलो वॉट घंटा | 0.00 |
| | | | 0.00 |
| (ग) | सकल तकनीकी और वाणिज्यिक हानि | | 1.00 |
| मैं/ हम यह दावा करते हैं कि इस दस्तावेज़ और प्रोफॉर्मा में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सटीक है और यदि दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है और इस तरह की जानकारी के परिणामस्वरूप केंद्र सरकार या राज्य सरकार या उनके अधीन किसी प्राधिकरण को नुकसान होता है या किसी अन्य व्यक्ति पर प्रभाव होता है तो मैं / हम इस नुकसान की क्षतिपूर्ति करने का वचन देते हैं। | | | |
| अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और मुहर | | | |
| | | हस्ताक्षर :- | |
| | | ऊर्जा प्रबंधक का नाम *: | |
| अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम | | पंजीकरण सं. : | |
| डिस्कॉम का नाम : | | | |
| पूरा पता:- | | | |
| मुहर | | | |

| प्रपत्र-इनपुट ऊर्जा (इनपुट ऊर्जा और मूल संरचना का व्यौरा) | | | |
|---|--|------------------------|----------------------------|
| क्षेत्र-विद्युत वितरण कंपनियों | | | |
| क. ऊर्जा इनपुट और मूल संरचना का सारांश | | | |
| क्र. सं. | पैरामीटर्स | अवधिसे तक | टिप्पणियां (डेटा का स्रोत) |
| क.1 | खरीदी गई इनपुट ऊर्जा (एमयू) | 0 | |
| क.2 | ट्रांसमिशन हानि प्रतिशत (%) | 0% | |
| क.3 | ट्रांसमिशन हानि (एमयू) | 0 | |
| क.4 | दायरे (एमयू) के बाहर बेची गई ऊर्जा | 0 | |
| क.5 | ओपन एक्सेस सेल (एमयू) | 0 | |
| क.6 | ईएचटी बिक्री | 0 | |
| क.7 | निवल इनपुट ऊर्जा (डिस्कॉम परिधि या वितरण बिंदु पर प्राप्त) - (एमयू) | 0.00 | |
| क.8 | क्या 100 प्रतिशत मीटरिंग 66/33 केवी पर उपलब्ध है (सूची से हां या नहीं का चयन करें) | | |
| क.9 | 11 केवी पर 100 प्रतिशत मीटरिंग उपलब्ध है (सूची से हां या नहीं का चयन करें) | | |
| क.10 | डीटी पर उपलब्ध मीटरिंग का प्रतिशत | 0% | |
| क.11 | उपभोक्ता के पास उपलब्ध मीटरिंग का प्रतिशत | 0% | |
| क.12 | 66 केवी वोल्टेज स्तर पर फीडरों की संख्या | 0 | |
| क.13 | 33 केवी वोल्टेज स्तर पर फीडरों की संख्या | 0 | |
| क.14 | 11 केवी वोल्टेज स्तर पर फीडरों की संख्या | 0 | |
| क.15 | एलटी फीडरों के स्तर की संख्या | 0 | |
| क.16 | 66 केवी वोल्टेज स्तर पर लाइन की लंबाई (सीकेटी कि.मी.) | 0 | |
| क.17 | 33 केवी वोल्टेज स्तर पर लाइन की लंबाई (सीकेटी कि.मी.) | 0 | |
| क.18 | 11 केवी वोल्टेज स्तर पर लाइन की लंबाई (सीकेटी कि.मी.) | 0 | |
| क.19 | एलटी स्तर पर लाइन की लंबाई (कि.मी.) | 0 | |
| क.20 | एचटी / एलटी अनुपात | 0 | |
| ख. इनपुट ऊर्जा इंजेक्शन बिंदुओं के मीटर की रीडिंग | | | |

| क्र. सं. | जोन | सर्किल | वोल्टेज का स्तर | प्रभाग | उप प्रभाग | फीडर आईडी | फीडर का नाम | अवधिसे तक | | | | टिप्पणियां (डेटा का स्रोत) |
|----------|---|--------|-----------------|--------|-----------|-----------|-------------|------------------------|-------------------|-------------|----------------|----------------------------|
| | | | | | | | | मीटर क्र. सं. | सीटी /पीटी अनुपात | आयात (एमयू) | निर्यात (एमयू) | |
| ख.1 | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| ख.2 | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| ख.3 | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| ख.4 | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| ख.5 | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| ख | | | | | | | | | | | | |
| ख | | | | | | | | | | | | |
| ख | | | | | | | | | | | | |
| ख.1001 | कुल (एमयू) | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| ख.1002 | डिस्कॉम के आस पास में निबल इनपुट ऊर्जा (एमयू) | | | | | | | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| कलर कोड | पैरामीटर | | | | | | | | | | | |
| | कृपया वोल्टेज स्तर डालें या खाली छोड़ दें | | | | | | | | | | | |
| | कृपया फीडर आईडी और नाम डालें या खाली छोड़ दें | | | | | | | | | | | |
| | मीटर नंबर डालें या खाली छोड़ें | | | | | | | | | | | |
| | सीटी / पीटी अनुपात डालें या खाली छोड़ दें | | | | | | | | | | | |
| 0 | कृपया संख्यात्मक मान या 0 डालें | | | | | | | | | | | |
| | कृपया सूची से हां या ना का चयन करें | | | | | | | | | | | |
| | फॉर्मूला संरक्षित है | | | | | | | | | | | |

| प्रभागवार हानियों के विवरण | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| क्षेत्र – विद्युत वितरण कंपनियां | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| प्रभागवार हानियां | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| क्र. सं. | सर्किल का नाम | सर्किल का कोड | प्रभाग का नाम | अवधिसे तक | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | उपभोक्ता की रूपरेखा | | | | | | | | ऊर्जा पैरामीटर | | | | हानियां | | वाणिज्यिक पैरामीटर | | | एटी एंड सी हानियां (%) | | |
| | | | | उपभोक्ता श्रेणी | मीटर युक्त कनेक्शनों की सं. (नग) | मीटर रहित कनेक्शनों की सं. (नग) | कुल कनेक्शनों की सं. (नग) | कनेक्शनों की संख्या का % | मीटर युक्त कनेक्टेड लोड (मे. वॉ.) | मीटर रहित कनेक्टेड लोड (मे. वॉ.) | कुल कनेक्टेड लोड (मे. वॉ.) | कनेक्टेड लोड का % | इनपुट बिजली (मि. यू.) | बिल युक्त बिजली (मि. यू.) | | | बिजली की खपत का % | टी एंड डी हानियां (मि. यू.) | टी एंड डी हानियां (%) | बिल की गई राशिक रोड रु. में | | संग्रह की गई राशिक रोड रु. में | संग्रह दक्षता |
| | | | | | | | | | | | | | | मी-टर युक्त बिजली | मीटर रहित / आकलन बिजली | कुल बिजली | | | | | | | |
| 1 | | | | आवासीय | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | | | | 0.00 % |
| | | | | कृषि संबंधी | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | | 0 | 0 | 0 | 0% | | | | | | |
| | | | | वाणिज्यिक/ औद्योगिक-एलटी | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | | 0 | 0 | 0 | 0% | | | | | | |
| | | | | वाणिज्यिक/ औद्योगिक - एचटी | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | | 0 | 0 | 0 | 0% | | | | | | |
| | | | | अन्य | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | | 0 | 0 | 0 | 0% | | | | | | |

| उप- योग | | 0 | 0 | 0 | 100 % | 0 | 0 | 0 | 100 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100 % |
|---------|---------------------------------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|---|-------|---|----|---|---|----|-------|
| 2 | आवासीय | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100 % |
| | कृषि संबंधी | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | | 0 | 0 | 0 | 0% | | | | | | |
| | वाणिज्यिक/ औद्योगिक-एलटी | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | | 0 | 0 | 0 | 0% | | | | | | |
| | वाणिज्यिक/ औद्योगिक-एचटी | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | | 0 | 0 | 0 | 0% | | | | | | |
| | अन्य | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | | 0 | 0 | 0 | 0% | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| .. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | कंपनी के स्तर पर | 0 | 0 | 0 | 100 % | 0 | 0 | 0 | 100 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100 % |
| कलर कोड | पैरामीटर | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | कृपया सर्किल का नाम डालें | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | कृपया सर्किल का कोड डालें | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | कृपया संख्यात्मक मान या 0 डालें | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| फॉर्मूला संरक्षित है | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>मैं/ हम यह दावा करते हैं कि इस दस्तावेज़ और प्रोफ़ॉर्मा में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सटीक है और यदि दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है और इस तरह की जानकारी के परिणामस्वरूप केंद्र सरकार या राज्य सरकार या उनके अधीन किसी प्राधिकरण को नुकसान होता है या किसी अन्य व्यक्ति पर प्रभाव होता है तो मैं / हम इस नुकसान की क्षतिपूर्ति करने का वचन देते हैं।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और मुहर | | | | | | | | | | | | | | | हस्ताक्षर :- | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | ऊर्जा प्रबंधक का नाम : | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | पंजीकरण सं. : | | |
| अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| डिस्कॉम का नाम : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| पूरा पता:- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| मुहर | | | | | | | | | | | | | | | | | |

MINISTRY OF POWER**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th April, 2021

No. 18/1/BEE/DISCOM/2021.—BEE-The following draft of certain Regulations namely, the Bureau of Energy Efficiency (Manner and Intervals for Conduct of Energy Audit (Accounting) in Electricity Distribution Companies) Regulations, 2021, which the Bureau, with the previous approval of the Central Government, proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (2) of section 58, read with clause (q) of sub-section (2) of section 13 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), is hereby published as required under sub-section (1) of section 58 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said Regulations shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty five days from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

Objection or suggestion, if any, may be addressed to the Director General, Bureau of Energy Efficiency, 4th Floor, Sewa Bhawan, R.K. Puram, Sector-1, New Delhi – 110066 and may be sent at the e-mail address of the Bureau at dg-bee@nic.in

The objections or suggestions, if any, which may be received from any person with respect to the said draft regulations within the period so specified, shall be considered by the Bureau.

DRAFT REGULATIONS**1. Short title and commencement.-**

- (1) These regulations may be called the Bureau of Energy Efficiency (Manner and Intervals for Conduct of Energy Audit (Accounting) in electricity distribution companies) Regulations, 2021.
- (2) These Regulations shall extend to all electricity distribution companies notified as designated consumer and from the date of commencement of these regulations, the Bureau of Energy Efficiency (Manner and Intervals of Time for Conduct of Energy Audit) Regulations, 2010 shall not be applicable on the electricity distribution companies notified as designated consumer.
- (3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.-

- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,—
 - (a) “Act” means the Energy Conservation Act, 2001;
 - (b) “circle” means demarked area of the DISCOM in which DISCOM is further divided. It usually consists parts of areas located geographically; also fed through same EHV / grid network;
 - (c) “division” means the administrative /sector/area in which a DISCOM is further divided for the purpose of ease of operation, as an administrative unit etc;
 - (d) “energy accounting” means prompt and accurate accounting of the Energy inflows at various voltage levels of the network and the subsequent energy consumption by the end customers;
 - (e) “energy audit (accounting) report” means the report on energy accounting submitted and signed by the accredited energy auditor/energy manager;
 - (f) “energy audit (accounting)” means energy audit of energy accounting undertaken by the electricity distribution company;
 - (g) “financial year” means period of 12 months from starting of April 1 of a particular year and ending on March 31 of the subsequent year;
 - (h) “Form” means a form appended to these regulations.
- (2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Intervals of Time for Conduct of Energy Audit (Accounting).-

- (1) Every electricity distribution company shall have its first energy audit (accounting) conducted, by accredited energy auditor within 04 months from the date of coming into effect of these regulations. Provided that if an electricity distribution company is established after date of coming into effect of these regulations, such electricity distribution shall have its first energy audit within 04 months from the date

of being notified as designated consumer. Subsequent energy audit (accounting) shall be conducted as per sub-regulation (3) below.

- (2) First energy audit (accounting) conducted shall take into account the energy accounting of electricity distribution company for last 12 months from the date of coming into effect of these regulations.
- (3) Every electricity distribution company shall conduct energy audit (accounting) for every financial year within a period of 03 months from the expiry of relevant financial year. There shall not be a gap of more than 12 months between two energy audits (accounting) conducted by the electricity distribution company under this sub-regulation (3), and report of the energy audit (accounting) shall be presented to the management of the electricity distribution company within 04 months of the end of the period for which the energy audit (accounting) relates. It is hereby clarified that if the first energy audit (accounting) in accordance with sub-regulation (1) above is conducted during a financial year, then the energy audit (accounting) for the said financial year as per this sub-regulation (3) shall not include the time period audited in first energy audit (accounting).

4. Pre-requisites for Energy Accounting.-

Electricity distribution companies shall be required to undertake all actions as may be required for the energy accounting before the first energy audit (accounting) including following actions,-

- (a) Identification and mapping of all of the electrical network assets;
- (b) Identification and mapping of high tension and low tension consumers;
- (c) Development and/or implementation of information technology enabled energy accounting and audit system including associated software;
- (d) Installation and Operation of meters at all network points including consumer premises;
- (e) Establishing a centralized energy accounting and audit cell;
- (f) Identification of overloaded segments of the network for necessary capacity additions.

5. Reporting requirements for Energy Accounting.-

- (1) All feeder wise/circle wise/division wise quarterly energy accounting reports shall be submitted to the Bureau and respective State Designated Agency and also made available on the website of electricity distributions company within [15 days] of every subsequent quarter.
- (2) Electricity distribution company shall designate nodal officer for energy accounting reporting compliance and communicate the same to Bureau. The nodal officer shall necessarily be a full time employee of the electricity distribution company and shall be of the rank and designation equivalent to Chief Engineer Level or above.
- (3) Electricity distribution company shall ensure that energy accounting data is generated from a metering system and is not based on an assumption of the electricity distribution company. Energy accounting and audit system/software shall be developed to create monthly/ *quarterly* and yearly energy accounting reports.
- (4) Electricity distribution company shall provide the details of the IT system in place, safeguards, protocols etc. that ensures no manual intervention in creating the mandatory reports.
- (5) The reports shall be uploaded on a designated National portal as notified by Ministry of Power or its nodal agency latest by 15th day every subsequent quarter.

6. Manner of Energy Audit (Accounting).-

- (1) Every energy audit (accounting) under these regulations shall be conducted in the following manner,—
 - (a) Verification of existing pattern of energy distribution across periphery of electricity distribution company;
 - (b) The accredited energy auditor shall verify accounted energy flow submitted by electricity distribution company at various voltage levels,—
 - (i) Energy flow between Transmission and 33kV incoming distribution feeders;
 - (ii) Energy flow between 33kV outgoing and 11kV incoming feeders;
 - (iii) Energy flow between 11 kV feeders and Distribution Transformers;

- (iv) Energy flow between distribution transformer to end-consumer;
 - (v) Energy flow between Feeder to end-consumer.
- (2) The accredited energy auditor, jointly with the nodal officer of the electricity distribution company shall,—
- (a) develop a scope of work for the conduct of energy audit (accounting) required under these regulations;
 - (b) agree on best practice procedures on accounting of energy distributed across the network; and
 - (c) collect energy received, and distribution data covered within the scope of energy audit (accounting).
- (3) The accredited energy auditor shall—
- (a) verify the accuracy of the data collected in consultation with the nodal officer appointed or designated by the distribution companies as per standard practice to assess the validity of the data collected;
 - (b) analyse and process the data with respect to—
 - (i) consistency of data monitoring compared to the collected data;
 - (ii) recommendations to facilitate energy accounting and improve energy efficiency; and
 - (iii) overview of energy accounting in electricity distribution company.

7. Prioritization and preparation of action plan.-

- (2) The energy audit (accounting) report submitted by accredited energy auditor jointly with the nodal officer shall include following activities,—
- (I) Data collection and verification of energy distribution—
- (a) Monthly energy consumption data of consumers and system metering from Electricity distribution company at following voltage levels:
 - (i) 33 kV levels – Including 33 kV feeder and Sub-station;
 - (ii) 11 kV levels – Including 11 kV feeder and Distribution Sub-station;
 - (iii) 440 V level – Including Distribution Transformer and low tension consumer.
 - (b) Energy cost and tariff data.
 - (c) Input energy details for all metered input points.
 - (d) Boundary meter details.
 - (e) Source of energy supply (e.g. Electricity from grid or self-generation).
 - (f) Review of the current consumption practices in order to identify the energy loss in the system.
- (II) Data Verification, Validation & Correction—
- (a) A monitoring and verification protocol to quantify on annual basis the impact of each measure with respect to energy conservation and cost reduction for reporting to Bureau and the concerned State designated agency.
 - (b) Verification and correction of input energy, taking into account the following:
 - (i) Recorded system meter reading by metering agency.
 - (ii) All the input points of transmission system.
 - (iii) Details provided by the transmission unit.
 - (iv) Relevant records at each electricity test division for each month.
 - (v) Recorded meter reading at all export points (where energy sent outside the State is from the distribution system).
 - (vi) System loading and corresponding infrastructure.
 - (c) Consult with electricity distribution company and metering personnel to account for any anomalous data that could skew the base year representation.

- (d) Verification of the multiplying factor (MF) and correct energy recorded through MRI/AMR for evaluation of energy input.
- (e) Energy supplied to Open Access Consumers which is directly purchased by Open Access Consumers from any supplier other than Electricity distribution company.
- (f) Verify and validate the system metering data provided by metering agency through random field visit (particularly for data irregularity).

8. Structure of the energy audit (accounting) report.-

- (1) The energy audit (accounting) structure shall be jointly decided by the accredited energy auditor and electricity distribution company and the report shall be prepared in the format as set-out in Annexure1.
- (2) The energy audit (accounting) report shall—
 - (a) provide for monitoring of input energy and consumption pattern at various voltage levels;
 - (b) identify the areas of energy leakage, wastage or inefficient use;
 - (c) identify high loss-making areas/networks, for initiating target based corrective action; and
 - (d) identify overloaded segments of the network for necessary capacity additions.
- (3) The accredited energy auditor shall highlight the strengths and weaknesses of the electricity distribution company in the management of energy and energy resources in the energy audit (accounting) report and recommend necessary action to improve upon method of reporting data, energy management system in detail along with their underlying rationale.
- (4) The accredited energy auditor shall sign the energy audit (accounting) report under the seal of its firm giving all the accreditation details along with details of manpower employed in conducting the energy audit.
- (5) The energy audit (accounting) report shall include a work schedule sheet duly signed by accredited energy auditor and nodal officer of the distribution company.

9. Bureau's Recommendation.-

- 1. Energy audit (accounting) report shall be submitted to Bureau within 04 months from the end of the relevant financial year.
- 2. Based on energy audit (accounting) report submitted, Bureau can recommend necessary actions to be undertaken by the electricity distribution company for further improvement of energy accounting and reporting.

ASHOK KUMAR, Dy. Director General

[ADV.T. III/4/Exty./41/2021-22]

Annexure-1**(a) Structure of Reporting Format**

1. Executive Summary & Critical Comments
2. Back Ground:
 - i. About BEE
 - ii. Role of BEE
 - iii. About Sector
3. Introduction of Verification Firm
4. Introduction of DISCOM (DC)
 - i. Name and Address of Designated Consumer
 - ii. Name and contact details of energy manager (BEE Certified, if any) and Authorized signatory of DC (Nodal Officer)
 - iii. About DCs
5. Background
 - i. Purpose of accounting Report
 - ii. Approach, Scope & Methodology
 - iii. Period of Energy Accounting
 - iv. Composition of Team
 - v. Brief write-up on Time & Activities Chart with task in man days
6. Minutes of Meeting with the DISCOM team.
7. Check List prepared by auditing Firm.
8. Definitions
 - i. Last three years Scenario (Brief with comparison in tabular format)
 - ii. Infrastructure Details
 - iii. Energy Conservation options (Past & Future)
 - iv. Energy Scenario & Energy Performance (% losses):
 - (a) Electrical Distribution System
 - (b) Line Diagram (SLD)
 - (c) Power Purchase Details
 - (d) Category of service details (With Consumer and voltage-wise)
 - (e) Various losses in last three years
 - (f) Inclusion and Exclusion
9. Write-up on Unit Performance on Energy Consumption and reduction of losses details based on report submitted by DC
10. List of document verified with each parameter
11. Brief Description of Unit
12. List of Parameters arrived through calculation or formulae with list of document as source of data

(b) Format for Energy Accounting

| General Information | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Electricity Distribution Companies | |
| 1 | Name of the DISCOM |
| 2 | i) Year of Establishment |
| 3 | Contact details & Address |
| a | DISCOM's address |
| i | City/Town/Village |

| | | | |
|---|--|------------------------------------|------------------|
| ii | District | | |
| iii | State | | Pin |
| iv | Telephone | | Fax |
| b | DISCOM's Chief Executive Name | | |
| i | Designation | | |
| ii | Telephone with STD Code | | Fax |
| iii | Mobile | E-mail | - |
| 4 | Registered Office | | |
| i | Company's Chief Executive Name | | |
| ii | Designation | | |
| iii | Address | | |
| iv | City/Town/Village | | P.O. |
| v | District | | |
| vi | State | | Pin |
| vii | Telephone | | Fax |
| 5 | Energy Manager Details* | | |
| i | Name | | |
| ii | Designation | | Whether EA or EM |
| iii | EA/EM Registration No. | | |
| iv | Telephone | | Fax |
| v | Mobile | E-mail ID | - |
| 6 | Period of Information | | |
| 6 | Year of (FY) information including Date and Month (Start & End) | 1st Apr, 20.. - 30th March, 20.. | |
| Details of information regarding Performance of Electricity Distribution Companies | | | |
| Sr No. | General Details | Description | |
| 1 | Name of the Unit (DISCOM) | 0 | |
| 2 | (i) Year of Establishment | 0 | |
| 3 | Sector | Electricity Distribution Companies | |
| 4 | Complete address of DCs Unit location (including Chief Executive's name & designation) with mobile, telephone, fax nos. & e-mail. | , , , , , | |
| 5 | Registered Office address with telephone, fax nos. & e-mail | , , , , , , , | |
| 6 | Energy Manager's Name, designation, Registration No., Address, Mobile, Telephone, Fax nos. & e-mail | , , , , , , , , , , , | |

| | | | |
|---|--|----------------------------------|------|
| 7 | Period of Information Year of (FY) information including Date and Month (Start & End) | 1st Apr, 20.. - 30th March, 20.. | |
| 8 | Technical Details | | |
| (a) | Energy Input Details | | |
| (i) | Input Energy Purchase (From Generation Source) | Million kwh | 0.00 |
| (ii) | Net input energy (at DISCOM Periphery after adjusting the transmission losses and energy traded) | Million kwh | 0.00 |
| (iii) | Total Energy billed (is the Net energy billed, adjusted for energy traded)) | Million kwh | 0.00 |
| (b) | Transmission and Distribution (T&D) loss Details | Million kwh | 0.00 |
| | | % | 0.00 |
| (c) | Aggregate Technical & Commercial Loss | % | 0.00 |
| <p>I/We undertake that the information supplied in this Document and Pro-forma is accurate to the best of my knowledge and if any of the information supplied is found to be incorrect and such information result into loss to the Central Government or State Government or any of the authority under them or any other person affected, I/we undertake to indemnify such loss.</p> | | | |
| Authorized Signatory and Seal | | | |
| | | Signature:- | |
| | | Name of Energy Manager*: | |
| Name of Authorized Signatory | | Registration Number: | |
| Name of the DISCOM: | | | |
| Full Address:- | | | |
| Seal | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|-------------|--|
| B..... | | | | | | | | | | | | |
| B..... | | | | | | | | | | | | |
| B.1001 | Total (MU) | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| B.1002 | Net input energy at DISCOM periphery (MU) | | | | | | | | | 0.00 | | |

| Color code | Parameter | | |
|------------|--|--|--|
| | Please enter voltage level or leave blank | | |
| | Please enter feeder id and name or leave blank | | |
| | Enter meter no or leave blank | | |
| | Enter CT/PT ratio or leave blank | | |
| 0 | Please enter numeric value or 0 | | |
| | Please select yes or no from list | | |
| | Formula protected | | |

I/We undertake that the information supplied in this Document and Pro-forma is accurate to the best of my knowledge and if any of the information supplied is found to be incorrect and such information result into loss to the Central Government or State Government or any of the authority under them or any other person affected, I/we undertake to indemnify such loss.

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|
| Authorized Signatory and Seal | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Signature:- | |
| | | | | | | | | | | Name of Energy Manager*: | |
| Name of Authorized Signatory | | | | | | | | | | Registration Number: | |
| Name of the DISCOM: | | | | | | | | | | | |
| Full Address:- | | | | | | | | | | | |
| Seal | | | | | | | | | | | |

| Details of Division Wise Losses | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-------------|------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|----------------|-----------------------------|--------------|-------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------|-----------------------|
| Sector-Electricity Distribution Companies | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Division Wise Losses | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S.No. | Name of circle | Circle code | Name of Division | Period From....To.... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Consumer profile | | | | | | | | Energy parameters | | | | | Losses | | Commercial Parameter | | | AT & C (%) | |
| | | | | Consumer category | No of connection metered (Nos) | No of connection Un-metered (Nos) | Total Number of connections (Nos) | % of number of connections | Connected Load metered (MW) | Connected Load Un-metered (MW) | Total Connected Load (MW) | % of connected load | Billed energy (MU) | | | | % of energy consumption | T&D loss (MU) | T&D loss (%) | Billed Amount in Rs. Crore | Collected Amount in Rs. Crore | | Collection Efficiency |
| | | | | | | | | | | | | | Input energy (MU) | Metered energy | Unmetered/assessment energy | Total energy | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Residential | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.00% | 100% |
| | | | | Agricultural | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | | 0 | 0 | 0 | 0% | | | | | | |
| | | | | Commercial/Industrial-LT | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | | 0 | 0 | 0 | 0% | | | | | | |
| | | | | Commercial/Industrial-HT | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | | 0 | 0 | 0 | 0% | | | | | | |
| | | | | Others | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | | 0 | 0 | 0 | 0% | | | | | | |
| Sub-total | | | | | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0% | 100% | | |
| 2 | | | | Residential | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.00% | 100% |
| | | | | Agricultural | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | | 0 | 0 | 0 | 0% | | | | | | |
| | | | | Commercial/Industrial-LT | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | | 0 | 0 | 0 | 0% | | | | | | |
| | | | | Commercial/Industrial | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | | 0 | 0 | 0 | 0% | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------|--|--------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|---|------|---|----|---|---|----|------|
| | | | I-HT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Others | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | | 0 | 0 | 0 | 0% | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| .. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | At company level | | | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100% |

| Color code | Parameter |
|------------|---------------------------------|
| | Please enter name of circle |
| | Please enter circle code |
| 0 | Please enter numeric value or 0 |
| | Formula protected |

I/We undertake that the information supplied in this Document and Pro-forma is accurate to the best of my knowledge and if any of the information supplied is found to be incorrect and such information result into loss to the Central Government or State Government or any of the authority under them or any other person affected, I/we undertake to indemnify such loss.

| | | |
|-------------------------------|-------------------------|--|
| Authorised Signatory and Seal | Signature:- | |
| | Name of Energy Manager: | |
| | Registration Number: | |
| Name of Authorised Signatory: | | |
| Name of the DISCOM: | | |
| Full Address:- | | |
| Seal | | |

